पत्र संख्या–वन भूमि–21/2015 5853 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–
सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक – 19.11.15

विषय :– **मेसर्स UCIL, जादूगोड़ा माईनिंग लीज का जमशेदपुर वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–इचड़ा, मेचुआ एवं भाटीन में 100.681 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही कुल–134.424 हे0 वन भूमि अपयोजन का नवीकरण प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–1157 दिनांक–16.10.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–49/97–FC दिनांक–20.04.1998 द्वारा मेसर्स UCIL, जादूगोड़ा को 100.681 हे0 भूमिगत एवं 53.783 हे0 सतही कुल–154.464 हे0 वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्त्तमान प्रस्ताव पूर्व में वनभूमि अपयोजन स्वीकृति प्रस्ताव के नवीकरण से संबंधित है, जिसमें 100.681 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही उपयोग हेतु कुल–134.424 हे0 वनभूमि प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव की मूल प्रति वापस करते हुए पूर्व स्वीकृति भूमि के रकबा के सुधार, वन संरक्षक द्वारा भरे गये प्रपत्र में सुधार, पूर्व में दी गई स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन Upload करने के संबंध में भारत सरकार के संबंधित पदाधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अधिरोपित किए जाने वाले शर्तो के साथ, संशेधित प्रस्ताव विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
19/11
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–21/2015 5853 व0प0, राँची दिनांक– 19.11.15

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक (खान), जादूगोड़ा माइन्स, सिंहभूम (पूर्व), झारखण्ड–832102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11
सरकार के उप सचिव

E/15-VanBhumeLetter-73